न्यायालय–व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी–जितेन्द्र प्रधान)

व्यवहार वाद क्रं0 119–अ/2022
संस्थित दिनांक 26/04/2022

1. सविता कैवर्त्य पिता छोटेलाल कैवर्त्य,
उम्र 40 वर्ष, जाति केंवट
निवासी ग्राम पकरिया हा0मु0 मेंहदी तह0 पामगढ
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
2. संगीता कैवर्त्य पिता छोटेलाल उम्र 37 वर्ष
जाति केंवट निवासी पकरिया हा0मु0 अकलतरा,
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
3. गीता कैवर्त्य पिता छोटेलाल कैवर्त्य उम्र 32
निवासी पकरिया हा0मु देवरी भाठा तहसील सक्ती
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
4. अमरिका कैवर्त्य पिता छोटेलाल उम्र 26 वर्ष,
निवासी पकरिया हा0मु0 खिसोरा तहसील बलौदा
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
5. चंद्रिका कैवर्त्य पिता छोटेलाल उम्र 22 वर्ष,
निवासी ग्राम पकरिया तहसील अकलतरा
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 .....वादीगण

विरूद्ध

01. छोटेलाल कैवर्त्य पिता विश्राम उम्र 60 वर्ष,
जाति केंवट निवासी ग्राम पकरिया झूलनख
तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0
02. छ0ग0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 .....प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री श्रवण डोंगरे अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 1 से 5 द्वारा श्री हेमलाल पाटले अधिवक्ता।

।। अधिनिर्णय ।।

(आज दिनांक 11/02/2023 को घोषित)

1– वादीगण द्वारा, यह वाद प्रतिवादी क्र 1 के विरूद्ध वास्ते स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण के विचारण के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादी क्र 1 के मध्य राजीनामा किया गया है। उक्त राजीनामा के आधार पर आज नेशनल लोक अदालत के दिवस यह अधिनिर्णय पारित किया जा रहा है।

3— उभयपक्ष द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 03 व्य0प्र0सं0 प्रस्तुत कर आपस मे बिना किसी डर, दबाव के राजीनामा होना व्यक्त किया गया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्र 1 के मध्य 1/6—1/6 भाग में बंटवारा किये जाने को सहमत है तथा आपसी सहमति अनुसार 1/6—1/6 भाग में बंटवारा किया जाकर राजीनामा स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री वादीगण के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र 1 का न्यायालय में राजीनामा साक्ष्य कराया गया है। वादीगण से उसका बिना, डर, दबाव, भय के राजीनामा हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष द्वारा विवादित वादग्रस्त भूमि के संबंध में समझौता हो जाने का कथन किया गया है।

4— वादीगण एवं प्रतिवादी क्र 1 द्वारा बिना किसी डर, दबाव के आपस में राजीनामा कर लिया गया है ताकि पारिवारिक विवाद समाप्त हो सके एवं आपसी मधुर संबंध बना रहें।

5— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य हुए समझौता के आधार पर अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं की गयी विवेचना तथा अभिप्राप्त निष्कर्षो के आधार पर निम्नप्रकार से डिक्रीत किया जाता है —

01— वादीगण को न्यायाशुल्क वापस प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

02— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

03— अभिभाषक शुल्क परिशिष्ठानुसार अथवा जो भी कम हो आंका जावें।

04— संयुक्त हस्ताक्षरित समझौता आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 03 व्य0प्र0सं0 डिक्री का अंग होगा।

निर्णय आज दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—
(जितेन्द्र प्रधान)
लोक अदालत खण्डपीठ कं. 14, अकलतरा
जिला जांजगीर—चांपा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/—
(जितेन्द्र प्रधान)
लोक अदालत खण्डपीठ कं. 14, अकलतरा
जिला जांजगीर—चांपा (छ0ग0)